on 26th August, 1996 is awaited. However, certain measures to preclude recurrence of accidents of this nature have been taken.

सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन

1305. **श्री अजीत जोगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार को सुरक्षा व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे जुड़ी आवश्यकताओं का पता लगाने और इसके लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करने का कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) जी, नहीं। सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए रक्षा विशेषज्ञों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) नीतिगत मामले के रूप में रक्षा आवश्यकताओं को लगातार बनी हुई अद्यतन खतरे की संभावनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इस संबंध में राष्ट्रीय नीति के अनुरूप आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

Action plan for participation of private sector in modernisation of Ports

1306. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
MISS SAROJ KHAPARDE:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any action plan for the modernisation of Major Ports in the country with the participation of private sector and foreign agencies;

(b) if so, the details thereof;

(c) the major ports in Maharashtra which are likely to be covered in the plan with details thereof; and

(d) the details of the proposals pending with Government to create additional facilities at Visakhaptnam port with private investment?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) It has been assessed that demand for port capacity would be 424 million tonnes by 2002 AD which is much higher than that available at present. In order to meet a major part of requirements of port capacity, the major ports have been thrown open for private sector participation & guidelines issued for the purpose. The Major Ports of Bombay & Jawaharlal Nehru in Maharashtra are also covered by these guidelines.

(d) No such proposal is pending with the Government.

Additional facilities at Visakhapatnam

1307. DR. MOHAN BABU:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to construct an additional outer harbour to the existing one to create additional berthing facilities at Visakhapatnam;

(b) whether any proposal is under consideration to extend the Port or to create additional berthing facilities at nearby Gangavaram to cater to the needs of Visakhapatnam Steel Plan and to ease the congestion at Visakhapatnam Port;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE

TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN). (a) to (d) Yes, Sir. In order to meet the future demand for port services and to ease congestion at the existing Visakhapatnam Port, a proposal to create additional berthing facilities near Gangavaram to cater to the needs of Visakhapatnam Steel Plant was under consideration of the Visakhapatnam Port Trust.

Meanwhile, Andhra Pradesh Government declared Gangavaram as a minor port and decided to develop as an integrated industrial port city. In view of this, Visakhapatnam Port Trust have decided to develop an outer harbour to outer harbour to create additional berthing facilities.

लघु सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन

1308. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं के मूल्यांकन के कार्य को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लिया गया है;

(ख) आंध्र प्रदेश में मूल्यांकन के लिए ली गई लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या और उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में तटीय आन्ध्र, तेलंगाना और रायलसीमा तीन क्षेत्रों में अध्ययन किए गये। लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या तथा नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

क्षेत्र : तटीय आन्ध्र

क्रम सं०	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	योजनाओं के नाम
1	2	3	4
1.	सतही प्रवाह योजना	6	(i) गेड्डाकाटटू टैंक (ii) सिंगू टैंक (iii) बन्दीवानी टैंक (iv) गडिकिवानी टैंक (v) कोठा टैंक (vi) पाया तथा कोथा टैंक
2.	सतही लिफ्ट योजना	2	(i) संकमपेटा लिफ्ट सिंचाई योजना (ii) कोनाडा लिफ्ट सिंचाई योजना
3.	खुदाई कुएं	38	छकिवालसा गांव में-20 संख्या रेंगुपुरम् गांव में-18 संख्या
4.	सार्वजनिक कुएं	9	किट्टापल्ली गांव में 7 संख्या डोड्डिवुडवा गांव में-2संख्या
5.	निजी उथले नलकूप	239	रिल्लिवालसा गांव में-125 संख्या कुमुली गांव में-114 संख्या